सार-समाचार

वरिष्ठजन कल्याण समिति कार्यकारिणी सभा संपन्न

कोटा, (निसं)। वरिष्ठजन कल्याण समिति कोटा की कार्यकारिणी सभा स्थानीय ऑफीसर्स क्लब कोटा नयापुरा में अध्यक्ष चंद्रकांत सिंह परमार की अध्यक्षता में एवं मुख्य सलाहकार सेवानिवृत्त जज गजेंद्र कुमार गौड़ के सानिध्य में हुई। उक्त जानकारी देते हुए महासचिव यज्ञ दत्त हाड़ा ने बताया कि अध्यक्षीय उद्बोधन व स्वागत परिचय उपरांत सर्वसम्मति से दिवाली मिलन समारोह 8-11-2025 को मनसा फार्म पर प्रात: 11 बजे करने का निर्णय लेने के साथ ही सभी सदस्यों को अपने शुल्क यदि बकाया है तो 7-11-2025 तक या पहले जमा करने पर ही नवीकरण करने, मतदाता सूची में जोड़ने का निर्णय लिया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ दीपावली मिलन आयोजन की पीसी पवन सेवानिवृत्त आईएएस के सानिध्य में बी.एस.वर्मा, अजय एवं प्रतिमा ओबेरॉय की टीम करेगी। जन्मदिवस व विवाह उत्सव पर सदस्य स्वैच्छा से अनुदान देंगे जिससे सामाजिक सरोकार के कार्य किए जाएंगे, गरीब निर्धन बच्चों को वस्त्र, यूनिफॉर्म, स्वेटर व विकलांग वृद्धजनों को सहायता दी जाएगी। प्राप्त नये सदस्यों के फार्म पर सदस्यता देने का निर्णय लिया जाकर फॉर्म व फीस 7.11.2025 तक देनी है, की जानकारी संबंधित को देने का निर्णय लिया गया। चुनाव अधिकारी एडवोकेट भुवनेश शर्मा को वोटर सूची अध्यक्ष महासचिव कोषाध्यक्ष अप्रूव कराकर भेजेंगे। गौड़ ने कहा कि हम सब हेल्पलाईन का विस्तार करें, उपयोग लेने के लिए प्रेरित करें। शेखावत को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देकर अधिकृत किया गया। कार्यकारिणी सभा संचालन महासचिव ने किया। सदस्यों ने 75 प्लस वर्ष के सक्रिय-सदस्यों को ही सम्मान प्रतीक देने का निर्णय लिया।

यात्रा में छूटा बैग आरपीएफ ने किया बरामद

कोटा, (निसं)। कोटा मंडल के भरतपुर पोस्ट पर कार्यरत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) कर्मियों ने सतर्कता और ईमानदारी का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए एक यात्री का छूटा हुआ बैग सुरक्षित रूप से उसके परिजनों को सुपुर्द किया। आरपीएफ की यह तत्परता "ऑपरेशन अमानत" के सफल क्रियान्वयन का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को शीघ्रता से खोजकर उन्हें लौटाना है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ जैन ने बताया कि रेल मदद कोटा से प्राप्त सूचना के अनुसार, गाड़ी संख्या 20957 के सामान्य कोच में यात्रा कर रहे यात्री तेजस खत्री (निवासी इंदौर) का बैग भरतपुर में छूट गया था। सूचना मिलते ही भरतपुर पोस्ट पर ड्यूटी पर तैनात आरक्षक नवीन कुमार ने तत्परता दिखाते हुए संबंधित कोच का निरीक्षण किया। यात्रियों से पूछताछ के बाद बैग को सुरक्षित निकालकर आरपीएफ पोस्ट पर जमा कराया गया। बाद में यात्री के मित्र जितेंद्र कुमार (निवासी भरतपुर) पोस्ट पर उपस्थित हुए। पहचान व आवश्यक औपचारिकताओं के पश्चात एएसआई राजाराम अहिरवार द्वारा बैग जिसमें कपड़े, दवाईयां, दो किलो मिठाई सहित लगभग 6000 रुपये मूल्य के सामान थे, सही स्थिति में सुपुर्द किया गया। यात्री ने आरपीएफ भरतपुर के त्वरित एवं ईमानदार कार्य की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया।

पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का स्वागत

कोटा, (निसं)। पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं पूर्व कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट बुधवार को प्रात:11 बजे कोटा आगमन पर एयरपोर्ट पर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष रविन्द्र त्यागी की अगुवाई में कांग्रेसजनों ने जोरदार स्वागत किया उसके बाद अंता उपचुनाव विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के रोड़ शो प्रचार के लिये बाय रोड़ प्रस्थान किया उक्त जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव डॉ.विजय सोनी ने बताया स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से लोकसभा प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजल, पूर्व विधायक करण सिंह, पूर्व विधायक पूनम गोयल, पीसीसी महासचिव राखी गौतम, पूर्व पीसीसी सचिव शिवकांत नंदवाना, लाड़पुरा प्रधान रहे नईमुद्दीन गुड्डू, अनूप ठाकुर, झालावाड़ से सुरेश गुर्जर, पूर्व बूंदी उपजिला प्रमुख सत्येंद्र मीणा, पीसीसी सचिव मंजूर तंवर, शिवराज गुंजल, रामकुमार दाधीच, महामंत्री राधेश्याम वर्मा, हिमांशु शर्मा, नीरज शर्मा, राजकुमार बोयत, अजय गुप्ता, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शालनी गौतम, विजय गुप्ता, हँसराज गोस्वामी, मजीद, विनोद पारेता, उमाशंकर नामा, विकाश शर्मा, दिनेश जोशी, सहित आदि पदाधिकारियों सहित सैकड़ो की संख्या में कांग्रेसजनों ने स्वागत किया।

शहरी सीमा क्षेत्र का निरीक्षण किया

कोटा, (निसं)। शहर में रात्रि कालीन सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम कोटा दक्षिण, आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने शहरी सीमा क्षेत्र में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होने घोड़े वाले बाबा सर्किल, डीसीएम रोड़, आईटीआई पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास, झालावाड़ एयरपोर्ट के सामने कार्य कर रहे सफाईकार्मिकों को महत्वपूर्ण निर्देश प्रदान किये और सफाई व्यवस्था को लेकर आवश्यक जानकारी प्राप्त की। इसी क्रम में आयुक्त ने बुधवार दिन के समय, नगर निगम कोटा दक्षिण के रामतलाई स्थित निर्माणाधीन नवीन गैराज का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये एवं कार्य में गतिशीलता लाने के लिए कहा। तत्पष्चात आयुक्त द्वारा किशोरपुरा स्थित कायन गौशाला, बन्धा धर्मपुरा स्थित गौशाला एवं कचरा ट्रान्सफर स्टेशन का भी निरीक्षण किया और सम्बन्धित अधिकारियों को आवष्यक दिषा-निर्देष प्रदान किये। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त भावना सिंह, स्वास्थ्य अधिकारी ऋचा गौतम, अधिषाषी अभियन्ता ए.क्यू. कुरेशी, सहायक अभियन्ता भुवनेश नावरिया एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारी साथ रहें।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ किया

इटावा (निसं)। पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र में बेमौसम बारिश व अतिवृष्टि से किसानों की खराब हुई फसलों का मुआवजा देने ओर इटावा एसडीएम को हटाने की मांग को लेकर पीपल्दा विधायक चेतन पटेल के नेतृत्व में सातवें दिन भी इटावा एसडीएम कार्यालय पर काग्रेस कार्यकर्ताओं व किसानों का धरना जारी रहा। वहीं पीपल्दा विधायक चेतन पटेल का दूसरे दिन भी अनशन जारी रहा। इस आंदोलन के तहत बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इटावा उपखंड कार्यालय के बाहर सरकार की सदबुद्धि के लिए यज्ञ किया गया जिसमें बड़ी संख्या में काग्रेस कार्यकर्ताओ ने भाग लिया। इस अवसर पर सरकार की सदबुद्धि को लेकर यज्ञ किया गया। जिसमे इटावा ब्लांक काग्रेस अध्यक्ष ओमप्रकाश बैरवा, पूर्व अध्यक्ष शिवलाल पारेता , रमेश नागर जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद हुसैन, जिला महामंत्री संजय नंदवाना, राजेंद्र सिंहल, इटावा मंडल अध्यक्ष मनीष कोठारी, त्रिलोक पारेता, हंसराज मीना, हरिद्वार योगी, जिला परिषद सदस्य लेखराज मीना, राजेंद्र मीना रौन, शहजाद आशगान, आबिद मंसूरी सहित बड़ी संख्या में काग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

अग्रवाल प्रीमियर लीग एपीएल-6 के ब्रोशर का विमोचन किया

कोटा, (निसं)। अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा कोटा द्वारा आयोजित एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता अग्रवाल प्रीमियर लीग रविवार को जेके पेवेलियन नयापुरा स्टेडियम में कराया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक सजंय गोयल, सुरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि अग्रवाल प्रीमियर लीग के ब्रोशर का विमोचन समाजसेवी सन्दीप अग्रवाल चाँदीवाला और नवल गर्ग ने किया। इस अवसर पर सन्दीप अग्रवाल ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे आयोजन होते रहना चाहिऐं। जिससे नई नई प्रतिभाएँ आती हैं। महासभा के अध्यक्ष सुरेश गर्ग ने बताया कि इस आयोजन में 4 टीमें रहेगी। 15-15 ओवर का मैच होगा। इस अवसर पर सुरेश गोयल, उमेश अग्रवाल, महामंत्री अनिल अग्रवाल, महेश चंद्र अग्रवाल, सत्यनारायण अग्रवाल, मुकेश जैन, आशीष गोयल, नवीन मित्तल, उपेंद्र जैन, अरविंद गोयल, महिला जिला अध्यक्ष शालू अग्रवाल, ममता गोयल, प्रतिमा गोयल, धर्मेंद्र अग्रवाल, भास्कर गोयल, उपस्थित थे।

महाराजा श्री अग्रसेन का अपमान बर्दाश्त नहीं, अग्रवाल समाज में रोष

कोटा, (निसं)। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल द्वारा महाराजा श्री अग्रसेन के संबंध में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर देशभर के अग्रवाल समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। अग्रवाल सेवा उत्थान समिति के अध्यक्ष मोहनलाल अग्रवाल ने इस बयान की तीव्र निंदा करते हुए कहा कि "महाराजा अग्रसेन समाज के आराध्य देव हैं, उनके विरुद्ध की गई कोई भी टिप्पणी असहनीय है। समाज ऐसे अपमान को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेगा।" संस्था के संभाग महामंत्री संजय गोयल और जिला महामंत्री गजानन सिंघल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बघेल के खिलाफ सख्त कार्रवाई एवं मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी न केवल अग्रवाल समाज बल्कि पूरे देश के वैश्य समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली है।

प्रदेश स्तरीय बधिर क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य आगाज

- 'हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, और बेहतर करने का प्रयास करें सफलता निश्चित मिलेगी'
- राजस्थान के 18 जिलों के 300 से अधिक खिलाड़ी कोटा में जुटे

कोटा, (निसं)। बाधित बाल विकास केंद्र स्वर्ण जयंती कप-2025, सेठ श्री गणेशीलाल जी की स्मृति में बाधित बाल विकास केंद्र राजस्थान की ओर से आयोजित प्रथम प्रदेश स्तरीय बधिर क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आगाज नयापुरा स्थित जेके पवेलियन ग्राउंड में हुआ।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने गुब्बारे उड़ाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, उन्होंने प्रदेश के 18 जिलों की टीमों के खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और क्रिकेट खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर हीरालाल नागर ने कहा कि हम सभी को किसी भी क्षेत्र में हो हार नहीं माननी चाहिऐं, यदि एक बार हार जाओ तो फिर से मेहनत करो सफलता निश्चित ही मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि खेल हमे जीवन में संघर्ष करना सिखता हैं।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद इज्यराज सिंह ने कहा कि खेलों से शारीरिक, मानसिक विकास तो होता है ही इससे हमे जीवन में भी कई सीख मिलती हैं। संघर्ष करने की हमारी आदत हमें सफलता तक पहुंचाती है। बाधित बाल विकास केंद्र की अध्यक्ष सर्वेश्वरी रानीवाला ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह सीखने, सशक्तिकरण और समावेशन के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय टूर्नामेंट-अंडर 19 बेहद ही रोमांचक रूप से आयोजित किया जा रहा है। जिसमें बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। इस अवसर पर प्रतियोगिता की ट्रॉफी का भी अनावरण अतिथियों द्वारा हुआ।

डायरेक्टर केसर लाल मीणा ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और इस तरह के बच्चों के लिए सरकार संवेदनशील है और निरंतर इनकी सुविधाओं में इजाफा कर रही है, इन्हें रोजगार से जोड़ रही है। रोटरी क्लब कोटा सेंट्रल के अध्यक्ष सीए विपुल अग्रवाल ने बताया कि कोटा सहित जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, करौली, पाली, चित्तौड़, नागौर सहित कई जिलों की टीमें इसमें शामिल हुई है। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की उपनिदेशक सविता कृष्णिया, नेता प्रतिपक्ष कोटा उत्तर विवेक राजवंशी, स्काउट गाईट के यज्ञदत्त हाड़ा, सुनीता काबरा, रोटरी क्लब कोटा सेंट्रल के सचिव नवजोत सिंह भसीन सहित कई लोग उपस्थित रहे।

गुरू नानक जयंती पर खुले पांडाल में सजा दीवान

कोटा, (निसं)। समूह संगत एवं प्रबंधक कमेटी श्री गुरु सिंह सभा के तत्वावधान में साहिब श्री गुरुनानक देव जी महाराज का 556वां प्रकाश गुरपुरब (गुरू पर्व) उत्साह व उमंग के साथ मनाया गया। गुरूनानक जयंती पर बुधवार को गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में विशेष दीवान सजाया गया, जिसमें दूर-दराज से आए सिख समाज के लोगों ने मत्था टेका और अरदास की।

लम्बी-लम्बी कतारों के बीच अमृत गुरवाणी के स्वर गुंजाएमान रहे, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी व अन्य समाज के प्रबुद्धजन भी पहुंचे और गुरू नानक जयंती पर सिख समाज के लोगों को बधाई दी। सभा के अध्यक्ष अमरजीत सिंह माखीजा ने बताया कि गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा कोटा जंक्शन में बड़ी ही श्रृद्धा के साथ गुरू नानक जयंती का पर्व मनाया गया। सुबह श्री सुखमनी साहिब व नितनेम के पाठ हुए और उसके बाद आसा की वार आरम्भ हुई, उसके बाद समाप्ति श्री अखण्ड पाठ साहिब के साथ ही खुले पंडाल में कीर्तन, कथा, गुरुमत विचार से संगत को निहाल किया गया।

रात को भी दीवान सजाया गया जिसमें भी हजारों की संख्या में सिख संगत जुटी। रागी जत्था भाई जसवीर सिंह (हजूरी रागी श्री गुरु सिंह सभा कोटा जंक्शन), रागी जत्था भाई सिमरप्रीत सिंह (हजूरी रागी श्री दरबार साहिब अमृतसर) एवं प्रचारक सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह (हेड ग्रंथी श्री दरबार साहिब अमृतसर) ने संगत को अमृत गुरवाणी से निहाल किया। कोटा जंक्शन के प्रबन्धक अमरप्रीत सिंह मखीजा ने बताया कि इस दौरान गुरु का लंगर अटूट बरता जिसमें 25 हजार से अधिक सभी समाज के श्रद्धालु पहुंचे और गुरू का प्रसाद चखा।

सेवादारों ने तन मन से सेवा की और व्यवस्थाओं को संभाला, बच्चों से लेकर बडे सभी ने लंगर में अपनी सेवाएं दी, इसके साथ ही व्यवस्थाओं में किसी ने जूते साफ किए तो किसी ने लंगर में मदद की। किसी ने झाडू थामे रखा तो किसी ने जल व्यवस्था को संभाला। इस दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लोगों ने बढ़चढ़कर रक्तदान कर जरूरतमंद को मदद का प्रयास किया, साथ ही चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया गया जिससे लोग लाभांवित हुए। विभिन्न संस्थाओं की ओर से पानी की स्टॉल लगाई गई। जितेन्द्र बग्गा ने बताया कि श्री गुरू तेग बहादूर का 350वां शहीद शताब्दी वर्ष है जो पूरे विश्व में बड़े श्रद्धा व आस्था से मनाया जा रहा है जिसमें सभी गुरू तेग बहादूर के बलिदान को याद कर रहे हैं।

इस अवसर पर कोटा सिख वेलफेयर सोसायटी व गुरूद्वारा श्री गुरु सिंह सभा कोटा जं. द्वारा विशेष आयोजन किया जा रहा है जिसमें उनके जीवन से जुड़ी स्मारिका बनाई गई है, जिसमें 350 प्रश्न है और इसी में उत्तर दिए गए हैं। 23 नवम्बर को एक प्रतियोगिता कराई जाएगी जिसमें विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, उद्देश्य यह है कि गुरू तेग बहादुर ने धर्म व न्याय की रक्षा के लिए लो बलिदान दिया है जिससे युवा पीढ़ी को पता चले की सिखों का क्या गौरवशाली इतिहास रहा है और श्री गुरू तेग बहादुर के जो विचार थे, उनकी जो कार्यशैली थी वह हम सभी के लिए प्रेरणास्प्रद है, इससे दुनिया को अवगत कराया जाएगा।

किशोर सागर तालाब की सेफ्टी वाल से गिर रही थी ईंटें, सीसी सड़क से निकल रही गिट्टी

- लवकुश वाटिका में आश्रय स्थल के दिख रहे थे सरिए, मंत्री नागर ने कहा- सैंपल की जांच इंजीनियरिंग कॉलेज में कराएं
- ऊर्जा मंत्री ने दरा में किया किशोर सागर तालाब और लव कुश वाटिका का औचक निरीक्षण, निर्देश दिए

कोटा, (निसं)। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने गुरुवार को दरा कनवास क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान रास्ते में किशोरसागर तालाब और लव कुश वाटिका का औचक निरीक्षण किया। जहां पर किशोर सागर तालाब की सेफ्टीवॉल से उखड़ती ईंटें और सीसी में से निकल रही गिट्टी को देखकर मंत्री नागर ने जल संसाधन विभाग के एसई आरके जैमिनी को फोन पर फटकार लगाई।

मंत्री नागर ने कहा कि डबल्यूआरडी के सभी कामों की जांच करानी पड़ेगी। यहां वन विभाग की ओर से 2 करोड़ रुपए की लागत से लव-कुश वाटिका भी विकसित की जा रही है। लव कुश वाटिका में बने आश्रय स्थल के निर्माण की छत से नजर आ रहे सरियों को देखकर वन विभाग के रेंजर गुलाबचंद को बुलाकर नाराजगी प्रकट की।

उन्होंने पूछा कि घटिया निर्माण का पेमेंट कैसे कर दिया। जिस पर रेंजर गुलाबचंद ने कहा कि 82 लाख का पार्ट पेमेंट हुआ हैं। जिस पर मंत्री नागर ने फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यह कार्य 82 लाख का तो नहीं है। फिर पार्ट पेमेंट से क्या होता है? घटिया निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि निर्माण सामग्री के सैंपल की इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जांच कराएं।

लव-कुश वाटिका पर्यटन के लिए विकसित की जाएं:- मंत्री नागर ने लव-कुश वाटिका में तालाब से सीपेज का पानी भरा देख, उसे रोकने के निर्देश दिए। रेंजर गुलाबचंद को बुलाकर लव-कुश वाटिका को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए कहा।

मंत्री नागर में पॉन्ड, माउंटेन, प्राकृतिक आश्रय स्थल, ग्रीनरी, प्लांटेशन, व्यू पॉइंट, गार्डेन, ड्रेन विकसित करने के निर्देश दिऐं। लव-कुश वाटिका के द्वार को आकर्षक बनाने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि वाटिका को इस तरह से विकसित किया जाए कि लोग तालाब के किनारे बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकें।

नवनियुक्त कुलगुरु प्रो.निमित चौधरी का स्वागत समारोह आयोजित

कोटा, (निसं)। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निवर्तमान कुलगुरु प्रो.भगवती प्रसाद सारस्वत का विदाई एवं नवनियुक्त कुलगुरु प्रो. निमित चौधरी का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। आरटीयू के सह जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि इस अवसर पर कुलगुरु प्रोफेसर निमित चौधरी ने प्रो.सारस्वत को विदाई दी और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रो.निमित चौधरी का स्वागत किया गया। इस अवसर पर कुलसचिव भावना शर्मा, वित्त नियंत्रक बाबूलाल मीणा सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य सहित विश्वविद्यालय प्रशासन के विभिन्न अधिकारीगण उपस्थित थे। कुलगुरु प्रो.निमित चौधरी ने कहा कि अल्प समय में ही अर्जित असाधारण उपलब्धियों के साथ प्रोफेसर सारस्वत ने उच्च शिक्षा शिक्षा जगत में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्यों नें प्रेरणा स्त्रोत के रूप में अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की हैं। आप द्वारा प्रेरित विभिन्न नवाचार, सामाजिक गतिविधियों, सेवा प्रकल्पों, उच्च शिक्षा हेतु सुधार की दिशा में उठाए गए सार्थक कदमो के फलस्वरूप शिक्षा समुदाय में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं।

ओम बिरला आज से कोटा प्रवास पर

कोटा, (निसं)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार से दो दिवसीय प्रवास पर कोटा में रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान गुरुवार सुबह 11 बजे वे तलवंडी में नवनिर्मित आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय के लोकार्पण समारोह में सम्मिलित होंगे। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, विधायक संदीप शर्मा तथा राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलगुरु प्रो.गोविन्द सहाय शुक्ल भी उपस्थित रहेंगे। लगभग 22 करोड़ की लागत से तैयार यह महाविद्यालय 64,000 वर्गफीट क्षेत्रफल में निर्मित है।

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party. Format C-2
(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of Political Party : INDIAN NATIONAL CONGRESS
*Name of Election : BY ASSEMBELY ELECTION - 2025
Name of State / UT : ANTA-193 (RAJASTHAN)

1. SL No.	2. Name of Constituency	3. Name of Candidate	4. (A) Pending Criminal Cases: Name of Court, Case No. & Status of the Case(s)	Sactions of the Acts concerned & brief description of offence(s)	5. (B) Details about cases of conviction for criminal offences: Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Masimum Punishment Imposed
	ANTA - 193 RAJASTHAN	PRAMOD JAIN "Bhaya"					
1			Fir No. 8/2024 Police Kotwali, Baran (Pending Investigation)	420, 384, 413, 426, 379,120B IPC And 4/21 MMRD	NIL	NIL	NIL
2			Fir No. 268/2024 Police Kotwali, Baran (Pending Investigation)	341, 382, 506, 120B IPC	NIL	NIL	NIL
3			Fir No. 271/2024 Police Kotwali, Baran (Pending Investigation)	384, 34 IPC	NIL	NIL	NIL
4			Fir No. 272/2024 Police Kotwali, Baran (Pending Investigation)	420, 409, 467, 468, 471, 120B IPC	NIL	NIL	NIL
5			Fir No. 509/2024 Police Kotwali, Baran (Pending Investigation)	420, 409, 467, 468, 408, 379, 120B IPC	NIL	NIL	NIL
6			Fir No. 02/2024 Police Station, Anta (Pending Investigation)	420, 406, 467, 468, 471, 120B IPC	NIL	NIL	NIL
7			Fir No. 60/2024 Police Station, Mangrol (Pending Investigation)	420, 467, 468, 120B IPC	NIL	NIL	NIL
8			Fir No. 205/2024 Police Station, Anta (Pending Investigation)	143, 283, 188 IPC	NIL	NIL	NIL

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

Ramcharan Meena, President
DCC, Baran
Signature of officer bearer of the Political Party

आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा फार्मेट सी-1
(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितम्बर, 2018 के निर्णय के अनुसार)
(पब्लिक इंट्रेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य)

अभ्यर्थी का नाम और पता : प्रमोद जैन, निवासी ग्राम बटावदा, तहसील व जिला बारां (राज.)
राजनैतिक दल का नाम : इण्डियन नेशनल कांग्रेस (I.N.C.)
(निर्दलीय अभ्यर्थी यहां ''निर्दलीय'' लिखें) : लागू नहीं होता
निर्वाचन का नाम : 193 - अन्ता
निर्वाचन क्षेत्र का नाम : 193 - अन्ता, राजस्थान

मैं **प्रमोद जैन** (अभ्यर्थी का नाम), उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूँ :-

(क) लंबित आपराधिक मामले

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	मामले की सं. एवं तारीख / मामले (मामलों) की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारा (धाराएं) एवं अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण
1	लागू नहीं है	पुलिस थाना कोतवाली, बारां एफ आई आर नं. 08/2024 दिनांक 03.01.2024 पुलिस थाने में अनुसंधानरत नोट : एफआईआर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश आई.ए. नं. 149417/2025 दिनांक 16.07.2025 से गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है एवं अनुसंधान संबंधित थाने में लम्बित है।	420, 384, 413, 426, 379, 120बी IPC And 4/21 MMRD ACT धोखाधड़ी करके सम्पत्ति हासिल करना एवं खान और खनिज का उल्लंघन कर परिवहन करना।
2	लागू नहीं है	पुलिस थाना कोतवाली, बारां एफ आई आर नं. 268/2024 दिनांक 02.04.2024 पुलिस थाने में अनुसंधानरत नोट : एफआईआर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश आई.ए. नं. 149417/2025 दिनांक 16.07.2025 से गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है एवं अनुसंधान संबंधित थाने में लम्बित है।	341, 382, 506, 120B IPC चोरी करने के उद्देश्य से चोरी करके भाग जाना।
3	लागू नहीं है	पुलिस थाना कोतवाली, बारां एफ आई आर नं. 271/2024 दिनांक 02.04.2024 पुलिस थाने में अनुसंधानरत नोट : एफआईआर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश आई.ए. नं. 149417/2025 दिनांक 16.07.2025 से गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है एवं अनुसंधान संबंधित थाने में लम्बित है।	384, 34 IPC जबरन वसूली करना।
4	लागू नहीं है	पुलिस थाना कोतवाली, बारां एफ आई आर नं. 272/2024 दिनांक 02.04.2024 पुलिस थाने में अनुसंधानरत नोट : एफआईआर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश आई.ए. नं. 149417/2025 दिनांक 16.07.2025 से गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है एवं अनुसंधान संबंधित थाने में लम्बित है।	420, 409, 467, 468, 471, 120बी IPC चोरी की सम्पत्ति का व्यापार करना।
5	लागू नहीं है	पुलिस थाना कोतवाली, बारां एफ आई आर नं. 509/2024 दिनांक 28.06.2024 पुलिस थाने में अनुसंधानरत नोट : एफआईआर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश आई.ए. नं. 149417/2025 दिनांक 16.07.2025 से गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है एवं अनुसंधान संबंधित थाने में लम्बित है।	420, 409, 467, 468, 408, 379, 120बी IPC धोखाधड़ी करके सम्पत्ति हासिल करना।
6	लागू नहीं है	पुलिस थाना अन्ता एफ आई आर नं. 02/2024 पुलिस थाने में अनुसंधानरत दिनांक 01.01.2024 नोट : एफ आई आर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश आई.ए. नं. 149417/2025 दिनांक 16.07.2025 से गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है एवं अनुसंधान संबंधित थाने में लम्बित है।	420, 406, 467, 468, 471, 120बी IPC धोखाधड़ी करके सम्पत्ति हासिल करना।
7	लागू नहीं है	आई.ए. नं. 149417/2025 दिनांक 16.07.2025 नोट : एफ आई आर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश से गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है एवं अनुसंधान संबंधित थाने में लम्बित है।	420, 467, 468, 120बी IPC धोखाधड़ी करके सम्पत्ति हासिल करना।
8	लागू नहीं है	पुलिस थाना अन्ता एफ आई आर नं. 205/2024 दिनांक 08.04.2024 पुलिस थाने में अनुसंधानरत	143, 283, 188 IPC सार्वजनिक मार्ग में बाधा डालने के सम्बन्ध में।

(ख) आपराधिक मामलों के लिए दोष सिद्धि के मामलों के संबंध में विवरण

क्र.सं.	न्यायालय का नाम एवं आदेश (शो) की तारीख (खें)	अपराध (अपराधों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण	अधिकतम अधिरोपित दंड
1	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
4	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
5	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
6	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
7	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

राज्य सभा के निर्वाचन या विधानसभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2212 — **जाहिर आम सूचना** — दिनांक - 03.11.2025

आवास संख्या 3-झ-9 विज्ञान नगर, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा अल्ताफ हुसैन पठान पुत्र श्री अब्दुल करीम जी पठान को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती अकीला बेगम पत्नी श्री मंजूर अहमद के नाम दिनांक 20.06.2001 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती अकीला बेगम पत्नी श्री मंजूर अहमद द्वारा दिनांक 26.12.1994 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती अकीला बेगम पत्नी श्री मंजूर अहमद की मृत्यु दिनांक 05.05.2018 को हो चुकी है। श्रीमती अकीला बेगम पत्नी श्री मंजूर अहमद द्वारा इस आवास की वसीयत अपने जीवनकाल में जरिये वसीयत नामा आलेखित कर दिनांक 17.10.2017 को श्री महफूज अहमद अंसारी पुत्र स्व. श्री मंजूर अहमद के पक्ष में आलेखित की गई। श्री महफूज अहमद अंसारी पुत्र स्व. श्री मंजूर अहमद द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-झ-9 विज्ञान नगर, कोटा का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर श्री महफूज अहमद अंसारी पुत्र स्व. श्री मंजूर अहमद के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री महफूज अहमद अंसारी पुत्र स्व. श्री मंजूर अहमद के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री महफूज अहमद अंसारी पुत्र स्व. श्री मंजूर अहमद के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा फार्मेट सी-1
वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर, 2018 के निर्णय के अनुसार) (पब्लिक इंट्रेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य)

अभ्यर्थी का नाम और पता : नरेश कुमार मीणा, ग्राम नया गांव पोस्ट ननावता तहसील अटरु जिला बारां
राजनैतिक दल का नाम : निर्दलीय
निर्वाचन का नाम : राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2025
निर्वाचन क्षेत्र का नाम : अन्ता (193)

मैं, **नरेश कुमार मीणा** उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूँ :-

(क) लंबित आपराधिक मामले

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	मामले की सं. एवं तारीख	मामले की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारा (धाराएं) एवं अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण
1	NA	FIR No. 294/2025 पुलिस थाना महावीर नगर कोटा	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	धारा 196 (1) (a), 352 BNS
2	NA	FIR No. 299/2025 पुलिस थाना सदर बून्दी	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	धारा 196 (1) (a), 352 BNS
3	NA	FIR No. 202/2025 पुलिस थाना रायशर जयपुर ग्रामीण	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	धारा 191 (2) 190, 125 (a), 132 BNS
4	NA	FIR No. 504/2025 पुलिस थाना झालावाड़	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	धारा 121 (1) 132, 352, 57, 182 (2) BNS
5	न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश sc / st (अ.नि.) प्रकरण टोंक 31/2025	FIR No. 166/2024 पुलिस थाना नगर फोर्ट जिला टोंक	न्यायालय में विचाराधीन है	धारा 115(2), 121(1), 132, 223 (ख) 351(2), 109(1), 126 (2), 174 BNS व धारा 126(1)ए 126(2), 131, 132, 135 क (1) (ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, 1989
6	न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश sc / st (अ.नि.) प्रकरण टोंक 26/2025	FIR No. 167/2024 पुलिस थाना नगर फोर्ट जिला टोंक	न्यायालय में विचाराधीन है	धारा 49, 109(2), 15(2), 121(1), 132, 174, 190, 191(2), 191(3), 195(1), 221, 223 (ख), 285, 324 (5), 326 (छ), 351(2), 121(2), 311 BNS व धारा 3 लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम 184 व धारा 8 ख, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956
7	NA	FIR No. 169/2024 पुलिस थाना नगर फोर्ट जिला टोंक	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	233(1), 132, 351 (2) BNS व धारा 3 लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951
8	NA	FIR No. 298/2024 पुलिस थाना नयापुरा जिला कोटा	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	धारा 143, 332, 353, 353, 504, 506 IPC
9	NA	FIR No. 136/2024 पुलिस थाना आरकेपुरम जिला कोटा	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	धारा 143, 188 BNS
10	NA	FIR No. 159/2023 पुलिस थाना मोठपुर जिला बारां	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	धारा 143, 435, 283, 427 IPC
11	NA	FIR No. 560/2023 पुलिस थाना कोतवाली जिला बारां	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	धारा 147, 148, 149, 332, 353, 283, 117, 506 IPC व 3 sc / st
12	NA	FIR No. 572/2023 पुलिस थाना कोतवाली जिला बारां	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	धारा 153A, 504, 505, 506, 120 B IPC
13	NA	FIR No. 170/2023 पुलिस थाना मोठपुर जिला बारां	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	143, 283, 336, 143, 336 IPC
14	NA	FIR No. 403/2023 पुलिस थाना छबड़ा जिला बारां	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	143, 332, 353, 283 IPC
15	NA	FIR No. 308/2023 पुलिस थाना जीआरपी जिला बारां	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	145, 147 रेल्वे अधिनियम
16	NA	FIR No. 277/2023 पुलिस थाना अटरु जिला बारां	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	147, 148, 149, 506, 268, 188, 189, 285, 504, 505, 283 IPC
17	जिला एवं सेशन न्यायालय बारां 97/2025	FIR No. 158/2023 पुलिस थाना हरनावदा शाहजी जिला बारां	न्यायालय में विचाराधीन है	332, 353 IPC
18	JM अटरु 215/2021	FIR No. 148/2020 पुलिस थाना कवाई जिला बारां	न्यायालय में विचाराधीन है	147, 188, 332, 353, 269, 270, 271, 504, 506, IPC व 3 PDP एक्ट 5/6 राजस्थान महामारी अधिनियम 2020
19	NA	FIR No. 160/2023 पुलिस थाना बापचा जिला बारां	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	332, 353, 143, 188, 427 IPC
20	ACJM-2 जयपुर मेट्रो-1 18575/2024	FIR No. 337/2023 पुलिस थाना गांधीनगर जयपुर जिला जयपुर	न्यायालय में विचाराधीन है	171F, 323, 341, 504, 506, 341, 323, 504, 506, 117 F, IPC
21	ACJM-2 जयपुर मेट्रो - 2 3968/2014	FIR No. 533/2011 पुलिस थाना गांधीनगर जयपुर जिला जयपुर	न्यायालय में विचाराधीन है	336, 109, 120B IPC 3/25, 5/28 आर्मस एक्ट
22	JM अटरु जिला बारां 273/2017	FIR No. 197/2016 पुलिस थाना मोठपुर जिला बारां	न्यायालय में विचाराधीन है	353, IPC

(ख) आपराधिक मामलों के लिए दोष सिद्ध के मामलों के संबंध में विवरण

क्र.सं.	न्यायालय का नाम एवं आदेश (शो) की तारीख (खें)	अपराध (अपराधों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण	अधिकतम अधिरोपित दंड
1	ACJM - 6 जयपुर मेट्रो प्रथम 868 / 2004 31-03-2006	283 IPC, 3PO का लाभ देकर प्रताड़ित कर रिहा (बरी) किया गया	3PO का लाभ देकर प्रताड़ित कर रिहा (बरी) किया गया

राज्य सभा के निर्वाचन या विधानसभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

नरेश कुमार मीणा
प्रत्याशी, अन्ता - 193